(2)

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व वाद संख्या 03/2014 नारायणसिंह बनाम सरदारसिंह अन्तर्गत धारा 88, 188	
16	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण के सम्मन पेश होने पर प्रकाशनार्थ जारी होकर दिनांक 29.06.2016 को पेश हो।	
16	वकील वादी उपस्थित। पत्रावली कैम्प कोर्ट खाराबेरा पुरोहितान में पेश हुई। समाचार पत्र में प्रकाशित सम्मन की प्रति पेश कि प्रतिवादीगण कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। मजमेआम में भी प्रतिवादीगण को आवाजे दिलाई गई कोई हाजिर नही आया अतः प्रतिवादी 1 से 19 विरूद्व इक तरफा कार्यवाही अमर में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते पेश करने गवाह वादी दिनांक 01.07.2016 को पेश हो।	
016	वकील वादी उपस्थित। गवाह हीरसिंह पुत्र जेठूसिंह , घीसूसिंह पुत्र पुखसिंह के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये वादी और गवाह पेश नही करना चाहते है। गवाह वादी बन्द की जाती है। बहस सूनी गई वास्ते आदेश दिनांक 04.07.2016 को पेश हो।	
2016	वकील वादी उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं गवाह के बयानों का ध्यान पूर्वक मनन किया वादीगण ने अपने वाद में दर्शाया है कि प्रतिवादी 1 से 17 इस गांव में निवास नहीं करते है। तथा सैटलमैंन्ट में गलत नाम दर्ज हो गया है। मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त है इसलिए वादीगण का नाम डिकी जारी की जावे एवं प्रतिवादीगण 1 से 17 का नाम डिलिट किया जावें। मजमें आम में भी वादी के वाद के सम्बंध में जांच की गई तो पाया कि प्रतिवादीगण 1 से 17 इस गांव में निवास नहीं करते है अतः वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य से वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वादीगण स्वीकार किया जाकर डिकि इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण को ग्राम खाराबेरा पुरोहितान के खसरा नम्बर 927 रकबा 10 बीघा 11 बिरवा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1 से 17 का नाम डिलिट किया जाता है। तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी 18 से 19 इस अमर की जारी की जाती है कि वे वादी के कब्जे काश्त में दखल अदांजी न तो स्वंय करें। न किसी अन्य से करवायें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	

Scanned by CamScanner